फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी — खिंयाराम

बनाम

अप्रार्थीगण — मोडाराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 34 /2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
09.07.2020	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीया की ओर से वकील श्री दशरथसिंह राठौड़ ने पेश किया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बढेर की सहखातेदारी की भूमि ग्राम डोडू तहसील जायल के खसरा नं. 166 व 167 की खातेदार की भूमि है। उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये ही अन्य स्वर्ण जाति के लोगो को बेचान कर उन्हे मौके पर काबिज कराने की धमकियां दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के के पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को मौजा डोडू तहसील जायल के खसरा नं. 166 व 167 कुल 20.1452 हैक्टेयर की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा तहसीलदार जायल को आदेशित किया जावे कि उक्त खेताय के संबंध में किसी प्रकार के बैचान हस्तान्तरण के दस्तावेज का पंजीयन न करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस की ताईद होती है एवं प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होना प्रतीत होता है। मामला पृथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। मुतदाविया खेताय की भूमि का बिना विधिवत् विभाजन, बैचान हस्तान्तरण या मौके की स्थिति में परिवर्तन इत्यादि होता तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होना प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी नं. 1 से 8 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा डोडू तहसील जायल के खसरा नं. 166 रकबा 12.4643 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 167 रकबा 7.6809 हेक्टेयर के मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी बनाये रखे। तथा अप्रार्थी संखा 9 उक्त खेताय के संबंध में बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि प्रकार के किसी भी प्रकार के दस्तावेजात् का पंजीयन इत्यादि आगामी तारीख पेशी तक नही करे। अप्रार्थीगण जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 18.08.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर [illegible] नागौर	
18.8.20	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं. 1 से 8 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश [illegible] ने मूल वाद में वकालातनामा पेश किया है। अप्रार्थी नं. 9 [illegible] वकील [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र दिनांक 7.10.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

7.10.20 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.11.2 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

26.11.2 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21.1.21 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

21.1.21 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.3.21 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

22.3.21 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23.4.21 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

23.04.21 लॉकडाउन
पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.06.21 को प्रस्तुत करें।

26/8/21: वकलाय उभय पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया कि मूल पत्रावली में प्रतिवादी नं. 5 फौत हो चुकी है का प्रार्थना पत्र सं. वारिसान पेश हो रहा है। शेष की तलबी हो चुकी है। मिसल वास्ते जवाब जमानी नं. 1 से 7 हेतु दिनांक 27/10/21 को पेश हो।

27/10/21: वकलाय उभय प्रकरण में जवाब प्राप्त नहीं हुआ पेश नहीं हो। मिसल वास्ते जवाब प्राप्त हेतु दिनांक 08/12/21 को पेश हो।

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.– /

केस्म प्रकरण :

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
7/9/24	पत्रावली पेश हुई। जवाबदावा प्र.पक्ष हेतु एक जवाब चाहा जो कि न्यायहित में दिया जाना है। मिसल दिनांक: 28/9/24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
28/09/24	पत्रावली पेश हुई। गत आदेश की पालना हेतु एक जवाब चाहा, जो कि न्यायहित में दिया जाना है। मिसल दिनांक: को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
31/5/22	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद सं. 59/2020 दिनांक 14/5/2022 को निर्णित हो चुका है। वाद के अभाव में प्रार्थना-पत्र चलाने का औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 42 R.T. Act का खारिज किया जाता है। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे। [signature]	